राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ–226002
e-mail:nulmup@gmail.com, website:www.sudaup.org

पत्रांक:– 477/241/NULM/Teen/2001/swanidhi-vol-II दिनांक:– 14/6/2021

समस्त परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)
उ0प्र0।

विषय:–**कोविड–19 टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14.06.2021 से रेहड़ी पटरी दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, ऑटो रिक्शा, रिक्शा एवं बस चालकों के टीकाकरण हेतु विशेष सत्र आयोजन के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, के पत्र संख्या 612/09– 7–2021–08 (जा/2020 टीसी) दिनांक 14.06.2021 के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 08.06.2021 के कार्यवृत्त सं. 975 दिनांक 08.06.2021 एवं चिकित्सा विभाग के पत्र संख्या 976 दिनांक 08.06.2021 (छायाप्रतियां संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से दिनांक 14.06.2021 से विशेष टीकाकरण सत्र के माध्यम से सभी जनपदों मे कार्यस्थल पर 18–44 आयु वर्ग एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ड्राइवर/कण्डक्टर/फल विक्रेता/सब्जी विक्रेता/आटो चालक/बस चालक एवं रेहड़ी पटरी दुकानदारों को अभियान चलाकर कोविड वैक्सिनेशन कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुक्रम में स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पी0एम0 स्वनिधि के अन्तर्गत ऋण प्राप्त शहरी पथ विक्रेताओं यथा रेहड़ी पटरी दुकानदार आदि को गतिशील कर वैक्सिनेशन सुनिश्चित करायें साथ ही साथ पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त शहरी पथ विक्रेताओं एवं अन्य शहरी पथ विक्रेता के टीकाकरण की संख्या को नगर निकायवार संग्रहित करें एवं मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नक:–यथोपरि।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उ0प्र0।
3. समस्त सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक, शहर मिशन प्रबंधन इकाई, डूडा, उ0प्र0।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

संख्या– 612 / नौ–7–2021–08(ज) / 2020टीसी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2.निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा), उ0प्र0।
3.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4.समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2021**

विषयः कोविड–19 टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14 जून 2021 से रेहड़ी पटरी दुकानदार फल सब्जी विक्रेता, आटो रिक्शा, रिक्शा व बस चालकों के टीकाकरण हेतु विशेष सत्र आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 08.06.2021 का कार्यवृत्त संख्या– 975 / पॉच–9–2021 दिनांक 08.06.2021 एवं चिकित्सा विभाग के पत्र संख्या– 976 / पॉच–9–2021 दिनांक 08.06.2021(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 14.06.2021 से विशेष टीकाकरण सत्र स्थापित कर प्रदेश के सभी जनपदों में वर्क प्लेस सी0वी0सी0 पर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ड्राईवर / कन्डेक्अर / फल, सब्जी विक्रेता / आटो, रिक्शा चालक / फुटपाथ दुकानदारो को अभियान चलाकर कोविड वैक्सीनेशन कराया जायेगा।

उक्त के कम में प्रत्येक जनपद में नगर निगम / नगर पालिका ऑफिस में प्रतिदिन कम से कम 100 रेहड़ी पटरी दुकानदारों, फल–सब्जी बिकेता व रिक्शा / ठेला चालकों के लिये 50–50 व्यक्ति की क्षमता वाले दो (एक 45 वर्ष से अधिक एवं दूसरा 18 से 44 वर्ष तक के नागरिकों के लिये) सी0वी0सी0 स्थापित किया जायेगा। यह वर्क प्लेस सी0वी0सी0 की तरह से कियाशील होगा जिसमें संबंधित कार्यालय से सहयोग लेकर स्वनिधि योजना के अन्तर्गत पंजीकृत फेरी वालो तथा फुटपाथ दुकानदारों एवं पंजीकृत रिक्शा / ठेला चालकों को प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त किया जायेगा। नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र में कार्य सम्पन्न होने के पश्चात या वर्कप्लेस सी0वी0सी नगर पंचायतों में लगाया जा सकेगा।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णय / व्यवस्था के कम में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कोविड वैक्सीनेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. गार्ड फाईल / कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(कल्याण बनजी)
उप सचिव।

~~खं-60~~
612/9-7-21

संख्या–976 / पांच–9–2021

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2021**

विषय:कोविड–19 टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14 जून, 2021 से रेहड़ी पटरी दूकानदार, फल सब्जी विकेता, आटो रिक्शा, रिक्शा व बस चालको के टीकाकरण हेतु विशेष सत्र आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों हेतु कोविड टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की अभिनव पहल की कड़ी में जनपदो में फेरी लगाकर आजीविका कमाने वाले नागरिकों (स्ट्रीट वेंडर्स), ऑटो रिक्शा, टेम्पो आदि के ड्राईवर एवं साईकिल / ई–रिक्शा के चालकों तथा फल–सब्जी विकेताओं के लिये दिनांक 14 जून, 2021 से विशेष टीकाकरण सत्र स्थापित कर कोविड टीकाकरण कियां जाना है। यह वर्कप्लेस सी0वी0सी0 के रूप में चलाया जायेगा तथा इसकी तिथि वार सूची जिलाधिकारी के द्वारा नामित नोडल अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

1 **<u>ड्राईवर बूथ</u>**– प्रत्येक जनपद में आर0टी0ओ0 ऑफिस में प्रतिदिन कम से कम 100 **<u>कामर्शियल वाहन</u>** चालकों (बस, टैक्सी, आटो रिक्शा एवं ई–रिक्शा चालकों) एवं बसों के कण्डक्टरों के लिये 50–50 व्यक्ति की क्षमता वाले दो (एक 45 वर्ष से अधिक एवं दूसरा 18 से 44 वर्ष तक के नागरिकों के लिये) सी0वी0सी0 स्थापित किया जायेगा। यह वर्कप्लेस सी0वी0सी0 की तरह से कियाशील होगा, जिसमे संबंधित कार्यालय से सहयोग लेकर पंजीकृत कामर्शियल वाहन चालकों को प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त किया जायेगा।

2 **<u>स्ट्रीट वेंडर्स बूथ</u>**– प्रत्येक जनपद में नगर निगम / नगरपालिका ऑफिस में प्रतिदिन कम से 100 रेहड़ी पटरी दुकानदारों, फल–सब्जी विकेता व रिक्शा / ठेला चालकों के लिये 50–50 व्यक्ति की क्षमता वाले दो (एक 45 वर्ष से अधिक एवं दूसरा 18 से 44 वर्ष तक के नागरिकों के लिये) सी0वी0सी0 स्थापित किया जाना है। यह वर्कप्लेस सी0वी0सी0 की तरह से कियाशील होगा, जिसमे संबंधित कार्यालय से सहयोग लेकर स्वनिधि योजना के अन्तर्गत

पंजीकृत फेरीवालों तथा फुटपाथ दुकानदारों एवं पंजीकृत रिक्शा/ठेला चालकों को प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त किया जायेगा। नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में कार्य सम्पन्न होने के पश्चात यह वर्कप्लेस सी0वी0सी0 नगर पंचायतों में लगाया जा सकेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार दिनांक 14 जून, 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों हेतु विशेष सत्र स्थापित एवं प्रकाशित करते हुए स्ट्रीट वेंडर्स एवं ड्राईवर्स आदि का कोविड टीकाकरण सुचारू रूप से सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उपर्युक्त विशेष कोविड वैक्सीनेशन बूथों पर ए0ई0एफ0आई0 प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाये तथा आकस्मिकता की स्थिति के लिये एम्बुलेंस को तैयार रखा जाये।

भवदीय,
8.6.2021
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 976(1)/पांच–9–2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मातृ तथा शिशु कल्याण विभाग।
3 प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ0प्र0।
7 महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
8 मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10 राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
11 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
12 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
08-6-2021
(शशि कान्त शुक्ल)
उप सचिव।

Kamal-G.O.